

पत्र संख्या-एसीस-01/नि0-28/18- 08
निदेशालय, चिकित्सा सेवायें
कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार,
श्रम संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०
निदेशक, चिकित्सा सेवायें।

सेवा में,

प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय,
कंकड़बाग/मुंगेर।

पटना, दिनांक- 01-01-2019.

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अतिरिक्त राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निम्न प्रकार से राशि आवंटित की जाती है :-

संलग्न सूची के कॉलम 03 के अनुसार 0001.01.01 वेतन	218240
संलग्न सूची के कॉलम 04 के अनुसार 0001.01.03 जीवन यापन भता	29430
संलग्न सूची के कॉलम 05 के अनुसार 0001.01.04 मकान किराया भता	175180
संलग्न सूची के कॉलम 06 के अनुसार 0001.01.05 परिवहन भता	75380
संलग्न सूची के कॉलम 07 के अनुसार 0001.01.06 चिकित्सा भता	17370
संलग्न सूची के कॉलम 8 के अनुसार योग 26-2210.01.102.0001.01 वेतन	515600
संलग्न सूची के कॉलम 9 के अनुसार 0001.14.01 किराया महसूल एवं कर	69080
संलग्न सूची के कॉलम 10 के अनुसार कुल योग (26.2210.01.102.0001) कर्मचारी राज्य बीमा योजना	584680

(रुपये पांच लाख चौरासी हजार छः सौ अस्सी) मात्र।

2. उक्त आवंटन वित्त विभाग के स्थायी परिपत्र संख्या-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों/निर्देशों के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी में उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त विभागीय पत्रांक-6903, दिनांक-13.09.18 में निहित निदेशानुसार आवंटन पूर्व की भांति मैन्युअली निर्गत किया जा रहा है।

3. राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उप शीर्ष-0001 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, विपत्र कोड 26-2210011020001 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि के अंतर्गत किया जायेगा।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि इस आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनयमितता होगी एवं सम्पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. प्रत्येक माह के पांचवीं तारीख तक व्यय विवरणी विहित प्रपत्र में निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

01/01/19

(गोपाल मीणा)

निदेशक, चिकित्सा सेवायें

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-28/18- 08

पटना, दिनांक- 01-01-2019.

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/01/19

निदेशक चिकित्सा सेवायें

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-28/18- 08

पटना, दिनांक- 01-01-2019.

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी /आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पे अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/01/19

निदेशक चिकित्सा सेवायें

पत्रांक- ०८, दिनांक- ०१-०१-२०१९.

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-२२१० चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-०१ शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-१०२ कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उप शीर्ष-०००१ कर्मचारी राज्य बीमा योजना, विपत्र कोड २६-२२१००११०२०००१ के अधीन वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में निधि का अतिरिक्त आवंटन।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों का नाम	डी०डी०ओ० कोड	विषय शीर्ष ०१-वेतन						०००१.१४.०१ किराया, महसूल एवं कर	योग २६.२२१०.०१. १०२.०००१ कर्मचारी राज्य बीमा योजना
		०००१.०१.०१ वेतन	०००१.०१.०३ जीवन यापन भता	०००१.०१.०४ मकान किराया भता	०००१.०१.०५ परिवहन भता	०००१.०१.०६ चिकित्सा भता	योग २६-२२१०. ०१.१०२.०००१. ०१-वेतन		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
कंकड़बाग	HEA013	218240	29430	175180	75380	17370	515600	43446	559046
मुंगेर	HEA014	—	—	—	—	—	—	25634	25634
कुल योग		218240	29430	175180	75380	17370	515600	69080	584680

रुपये पांच लाख चौरासी हजार छः सौ अस्सी मात्र

(गोपाल मीणा)
निदेशक चिकित्सा सेवायें
०१/०१/१९